

जालंधर-फगवाड़ा नेशनल हाइवे बना परेशानी का सबब

» जलभराव से हो रही है दुर्घटनाएं » NHA के लापरवाह अधिकारियों के विरुद्ध कार्रवाई की मांग

■ जालंधर ब्रीज की विशेष रिपोर्ट

देश व शहर में राष्ट्रीय मार्ग जहाँ विकास का माध्यम है, वहीं इन दिनों कई स्थानों पर इनके निर्माण को लेकर परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। इसके चलते जालंधर ब्रीज अखबार ने स्थानीय लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी पीएपी चौक और रामामंडी चौक से सटे जालंधर-फगवाड़ा रोड़ पर राष्ट्रीय राजमार्ग के निर्माण संचालन और रख-रखाव बारे कई गंभीर मुद्दे उठाए हैं। जालंधर से फगवाड़ा तक उक्त राष्ट्रीय राजमार्ग पिछले 10 वर्षों से निर्माणाधीन है। यह पूरा मामला लोक अदालत कपुरथला की चैयपर्सन मंजू राणा के विचाराधीन था, वह एक ईमानदार अधिकारी थी। वह पदमुक्त हो गई क्योंकि वह बहुत ईमानदार अधिकारी थीं और लुधियाना में NHA के टोल पर सात दिनों से पैसा इकट्ठा करने के लिए रोक दिया था। राष्ट्रीय राजमार्ग के उचित रखरखाव के लिए NHA अधिकारियों को कुशलतापूर्वक, ईमानदारी से काम करने और NHA के नियमों को पत्र और भावना से लागू करने के लिए कहने के बजाय, अपने कर्तव्य का निर्वाह करने वाले अधिकारी का तबादला कर दिया गया है। लवली प्रोफेशनल यूनिवर्सिटी के पास पीएपी चौक और रामामंडी चौक में NHA के जल भराव का मुख्य मुद्दों में एक है। चूंकि NHA की नालियां ठीक से काम नहीं कर रही जिससे हर दिन बड़ी दुर्घटनाएं होती हैं। इस बारे में सही जानकारी जुटाने के लिए संबंधित पुलिस स्टेशन से रिकार्ड की जांच प्राप्त की जा सकती है।

जालंधर ब्रीज अखबार के माध्यम से प्रशासन व सरकार से मांग की जाती है कि इस मामले की जांच की जाए ताकि मानव जीवन को नुकसान पहुंचाने वाली बड़ी दुर्घटनाओं को रोका जा सके। साथ ही कथित ढंग से लापरवाही बरतने वाले अधिकारियों पर उचित कार्रवाई की जाए ताकि भविष्य में मानव जीवन की क्षति न हो पाए।



जालंधर-फगवाड़ा नेशनल हाइवे पर अलग-अलग जगहों पर बरसात के कारण खड़े हुए पानी के दृश्य।

1 22 जुलाई दोपहर 2:43 बजे जीएसएलवी मार्क-III से लॉन्चिंग

2 16 मिनट में पृथ्वी की कक्षा में पहुंचेगा

3 23 दिन तक ऑर्बिटर पृथ्वी के 4 चक्कर लगाएगा

4 7 दिन में चंद्रमा की कक्षा में पहुंचेगा ऑर्बिटर, यहां 13 दिन तक चक्कर लगाएगा

5 43वें दिन ऑर्बिटर से लैंडर अलग होगा, 48वें दिन चंद्रमा की सतह पर उतरेगा लैंडर 'विक्रम'

6 4 घंटे में लैंडर से बाहर आएगा रोवर 'प्रज्ञान'

चंद्रयान 2 का सफर

अंतरिक्ष में भारत की बड़ी उड़ान

जीएसएलवी मार्क-3 एम-1 के जरिए चंद्रयान-2 को लॉन्च किया गया। जीएसएलवी भारत में अब तक बना सबसे शक्तिशाली रॉकेट है इसीलिए इसे बाहुबली रॉकेट भी कहा जाता है।

■ नई दिल्ली/ब्यूरो
चंद्रयान-2 के जरिए भारत ने अंतरिक्ष की दुनिया में एक और इतिहास रच दिया है। मिशन चंद्रयान की लॉन्चिंग नीयत समय 2.43 मिनट पर हुई। इसकी गिनती रविवार शाम 6.43 मिनट पर 20 घंटे की उल्टी गिनती शुरू हुई थी। चंद्रयान-2 को चेन्नई से लगभग 100 किलोमीटर दूर सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र में दूसरे लांच पैड से प्रक्षेपण किया गया। इस मिशन में 978 करोड़ रुपये खर्च हुए हैं। इस मिशन के जरिए 11 साल बाद इसरो दोबारा चांद पर भारत का झंडा लहराएगा। यह भारत का दूसरा चांद मिशन है। इससे पहले 2008 में चंद्रयान-1 को भेजा गया था। चंद्रयान-2 को तीन हिस्सों में बांटा गया है। पहला ऑर्बिटर है, जो चांद की कक्षा में रहेगा। दूसरा लैंडर है

जिसका नाम विक्रम है ये चांद की सतह पर उतरेगा और तीसरा हिस्सा है प्रज्ञान जो कि रोवर है, ये चांद की सतह पर घूमेगा। चंद्रयान-2 करीब 3 लाख 84 हजार किलोमीटर की दूरी तय करने के बाद चंद्रमा पर उतरेगा। इसे चंद्रमा पर उतरने में करीब 55 दिन लगेंगे। यह चंद्रयान चंद्रमा के दक्षिणी ध्रुव क्षेत्र पर उतरेगा। इस यान के उतरने के बाद वैज्ञानिकों को चांद के कई रहस्यों के बारे में जानकारी मिलेगी। चंद्रयान-2 मिशन इसरो के लिए मील का पत्थर साबित हो सकता है। ऐसा इसलिए कि पहली बार इसरो चांद पर रोवर उतारने जा रहा है और ये मिशन कामयाब होता है तो भारत, रूस, अमेरिका, चीन के बाद चौथा देश बन जाएगा जिसने दूसरे खगोलीय पिंडों पर रोवर उतारा हो।



शपथ

प्रगति की राह पर अगला कदम



अतुल शर्मा
संपादक जालंधर ब्रीज

हमारा साप्ताहिक समाचार पत्र जालंधर ब्रीज स्वस्थ और सैद्धांतिक पत्रकारिता का अपना दायित्व बखूबी निभायेगा। परमपिता परमेश्वर की असीम अनुकम्पा, कुछ महानुभावों के संरक्षण, प्रिय साथियों और सहयोगियों के सहयोग के अलावा हमारी टीम अथक परिश्रम करके आपको हर खबर से जोड़ेगी। जालंधर ब्रीज को कामयाब बनाने के लिए ईश्वर द्वारा मिलाए गए संरक्षकों, सहयोगियों, परिवारिक सदस्यों व सुधि पाठकों का विशेष योगदान ही होगा। जालंधर ब्रीज सुस्वस्थ, सैद्धांतिक निष्पक्ष और निर्भीक पत्रकारिता के रास्ते पर चलने का संकल्प लेता है। नकारात्मकता, अश्लीलता, अनैतिक और भ्रमित करने वाले विज्ञापनों को कभी प्रकाशित नहीं करेगा। आज मैं जिस मुकाम पर आगे बढ़ने के लिए खड़ा हूँ। उस प्रगति के सफर पर आगे कदम बढ़ाने से पूर्व मैं अनमोल सहयोग देने वाले महानुभावों का हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूँ। जिंदगी के अनुभव में जिन्होंने मुझे अखबार निकालने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है उनका यहां जिक्र जरूर करूंगा। रोहित शर्मा, अंकुश शर्मा के अनमोल सहयोग के बिना मैं इस मुकाम पर कभी नहीं पहुंच पाता।

कर्नाटक का सियारी भूचाल सबकी नजर हम पर है, मुझे बलि का बकरा ना बनाएं-स्पीकर

■ बेंगलुरु/ब्यूरो
कर्नाटक में 14 महीने पुरानी कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन सरकार के भविष्य का फैसला करने वाली विधानसभा की कार्यवाही की शुरुआत करते हुए अध्यक्ष के. आर. रमेश ने सरकार से कहा कि वह शक्ति परीक्षण की प्रक्रिया सोमवार को पूरी करने के अपने वादे का सम्मान करे। सदन की कार्यवाही एक घंटा देरी से शुरू हुई। अध्यक्ष ने यह स्पष्ट किया कि "चर्चा अब शुरू की जाए। सबकी नजर हम पर है। मुझे बलि का बकरा ना बनाएं। अपने लक्ष्य तक पहुंचें।" उन्होंने इसपर जोर दिया कि यह प्रक्रिया सोमवार को समाप्त हो जानी चाहिए। मुख्यमंत्री एच. डी. कुमारस्वामी ने बृहस्पतिवार को विधानसभा में एक पंक्ति का विश्वास प्रस्ताव रखा था। गौरतलब है कि कांग्रेस-जद(एस) गठबंधन के 16 विधायकों के इस्तीफे और दो निर्दलीय विधायकों के समर्थन वापस लेने के कारण राज्य की गठबंधन सरकार का भविष्य डांबाडोल लग रहा है। विश्वास प्रस्ताव पर चर्चा

शुरुवार को भी जारी रही और राज्यपाल द्वारा इसे समाप्त करने के लिए तय दोनों समय-सीमा का पालन नहीं हुआ। राज्यपाल वजुभाई वाला ने पहले शुरुवार दोपहर डेढ़ बजे तक और बाद में दिन की समाप्ति तक प्रक्रिया पूरी करने को कहा था। शुरुवार को प्रक्रिया पूरी नहीं होने के बाद अध्यक्ष ने सरकार से यह "हमारा जीवन सार्वजनिक है। जनता हमें देख रही है। अगर लोगों में यह विचार बन रह है कि चर्चा के नाम पर हम समय बर्बाद कर रहे हैं तो यह मेरे या किसी के लिए भी सही नहीं होगा।" अध्यक्ष ने यह भी कहा कि विधायक दल के नेता को व्हिप जारी करने का अधिकार है। अध्यक्ष ने कांग्रेस विधायी दल के नेता सिद्धरमैया से कहा, "व्हिप जारी करना आपका अधिकार है। उसका पालन करना विधायकों पर है। यदि मेरे पास कोई शिकायत आती है तो मैं नियमों का पालन करते हुए फैसला लूंगा।" सिद्धरमैया ने व्हिप जारी करने को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले हफ्ते दिए गए आदेश के संबंध में एक सवाल उठाया था।

सिद्धरमैया से कहा, "व्हिप जारी करना आपका अधिकार है। उसका पालन करना विधायकों पर है। यदि मेरे पास कोई शिकायत आती है तो मैं नियमों का पालन करते हुए फैसला लूंगा।" सिद्धरमैया ने व्हिप जारी करने को लेकर उच्चतम न्यायालय द्वारा पिछले हफ्ते दिए गए आदेश के संबंध में एक सवाल उठाया था।



पुणे का इंजीनियर बनना चाहता है कांग्रेस अध्यक्ष

■ पुणे/ब्यूरो
कांग्रेस अध्यक्ष पद से राहुल गांधी के इस्तीफे के बाद कई लोग इसके लिए अपना दावा पेश कर रहे हैं। कभी कोई कार्यकर्ता अध्यक्ष पद के लिए दावा कर रहा है तो कभी कोई आम आदमी दावा कर रहा है। हाल ही में कांग्रेस अध्यक्ष पद के लिए पुणे के एक इंजीनियर गजानंद होसाले ने कहा है कि वह इस पद के लिए अपना दावा पेश करेंगे। होसाले शहर प्रमुख को राष्ट्रीय अध्यक्ष पद का फॉर्म भरकर भेजेंगे। होसाले ने यह भी कहा कि कांग्रेस का पुनर्गठन देश के लिए इस समय बहुत जरूरी है। इस दौर में कांग्रेस को अपना नेतृत्व युवाओं को सौंपना चाहिए जोकि बहुत जरूरी है। गजानंद होसाले ने कहा, राहुल गांधी ने अध्यक्ष पद से इस्तीफा दे दिया है और वह अपने निर्णय पर कायम हैं। ऐसे में यह बहुत बड़ी उलझन बनी हुई है कि किस व्यक्ति को पार्टी का अध्यक्ष बनाया जाए। मैं चाहता हूँ कि पार्टी अध्यक्ष के तौर पर मेरा एप्लिकेशन स्वीकार किया जाए। होसाले ने कहा, राहुल गांधी खुद कई बार कह चुके हैं कि पार्टी को युवा नेतृत्व की जरूरत है। ऐसे में मैं समझ सकता हूँ कि पार्टी को न सिर्फ उम्र के हिसाब से युवा अध्यक्ष की जरूरत है बल्कि दिल और सोच से भी युवा होने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि पार्टी के अध्यक्ष पद के खाली होने के कारण कई कार्यकर्ता निराश हैं और कुछ कार्यकर्ता पार्टी छोड़ रहे हैं। जबकि कुछ लोग दूसरी पार्टी में शामिल हो रहे हैं। अध्यक्ष पद खाली होने के कारण पार्टी की प्रदर्शन पर खासा असर देखने को मिल रहा है। उन्होंने कहा है कि पहले मैं पार्टी की सदस्यता लूंगा और फिर नियम के अनुसार इस फॉर्म को भरकर भेजूंगा। मैं ग्रामीण परिवेश से आता हूँ और मैं समस्याओं का समाधान निकालना जानता हूँ।




चक दे इंडिया हिमा दास ने 5 गोल्ड मेडल जीते, प्रधानमंत्री और राष्ट्रपति ने बधाई दी, यूजर्स ने कहा- भारत की नई उड़न परी

■ नई दिल्ली/ब्यूरो
भारतीय महिला धावक हिमा दास चेकगणराज्य में नोवे मेस्टो नाड मेटुजी ग्रां प्री में अब तक पांच गोल्ड मेडल जीत चुकी हैं। भारतीय एथलेटिक्स के हार्ड परफार्मेंस डायरेक्टर चोल्कर हरमन का मानना है कि यूरोप में तीन सप्ताह में पांच मेडल जीतने वाली स्टार धाविका हिमा दास अपने सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन के करीब हैं। उन्नीस साल की हिमा ने पोलैंड और चेक गणराज्य में दो जुलाई के बाद से दो सौ मीटर की चार और चार सौ मीटर की एक स्पर्धा में स्वर्ण पदक हासिल किया है। इस दौरान उन्होंने अपने समय में भी सुधार के साथ शानदार प्रदर्शन किया। उनकी इस सफलता पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और राष्ट्रपति राम नाथ कोविंद ने बधाई दी। वहीं, सोशल मीडिया पर यूजर्स ने हिमा को भारत की नई उड़न परी कहा। हरमन ने कहा, हिमा सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। अगर आप 50 सेकंड से कम समय में दौड़ (400 मीटर) पूरी करना चाहते हैं तो आपको पास 22.80 सेकंड में दौड़ (200 मीटर) पूरी करने की क्षमता होनी चाहिए। हिमा ने 20 जुलाई को 400



मीटर में 52.09 सेकंड के सत्र के सर्वश्रेष्ठ समय के साथ गोल्ड मेडल जीता था। हिमा ने 26 सितंबर से छह अक्टूबर तक दोहा में होने वाले विश्व चैम्पियनशिप के लिए 200 मीटर या 400 मीटर की दौड़ स्पर्धा के लिए क्वालीफाई नहीं किया है। पुरुष वर्ग में हालांकि मोहम्मद अनस ने 400 मीटर स्पर्धा में राष्ट्रीय रिकार्ड के साथ विश्व चैम्पियनशिप के लिए क्वालीफाई किया। एक जुलाई को भारतीय एथलेटिक्स के साथ जुड़ने वाले हरमन ने कहा, हमारे पास मोहम्मद अनस भी है जो अपने रिकार्ड में ही सुधार कर रहे हैं और यह शानदार है। जर्मनी के हरमन ने कहा कि टोक्यो ओलंपिक्स के लिए 25 से 30 भारतीय एथलीट क्वालीफाई कर सकते हैं। उन्होंने कहा, पुरुषों और महिलाओं के 400 मीटर रिले में विश्व चैम्पियनशिप के फाइनल में पहुंचने वाले आठ एथलीट सीधे क्वालीफाई कर लेंगे और हमारे लिये शायद यह सबसे आसान तरीका होगा। भाला फेंक और 400 मीटर दौड़ में भी हम अच्छी स्थिति में हैं।

शीला दीक्षित जी के निधन से बेहद दुखी हूँ। वे ऊर्जावान व मिलनसार व्यक्तित्व की धनी महिला थीं। उन्होंने दिल्ली के विकास में उल्लेखनीय योगदान दिया।



-नरेंद्र मोदी, प्रधानमंत्री

उक्ति

इतिहास केवल सबक लेने की वस्तु है, इसलिए उससे सीखो, लेकिन उसे हमेशा अपने मन पर लादकर मत रखो। ऐसा करोगे, तो अतीत जीवी बन जाओगे, जो सही नहीं है।

- ओशो

दखल

माया के जाल में मायावती



आयकर विभाग की चपेट में आखिरकार मायावती के भाई आनंद कुमार की बेनामी संपत्ति आ ही गई। उनकी आमदनी में सात साल में 18 हजार प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जो अपने आप में बड़ा अचंभा है। यह कार्रवाई ऐसे समय हुई है, जब कुछ दिनों बाद यूपी में उपचुनाव होने वाले हैं। ऐसे में उन पर भी इस गड़बड़ी का साफ असर दिखाई देगा। आयकर की कार्रवाई माया के लिए बड़ा झटका साबित होगी।

आयकर विभाग की चपेट में आखिरकार मायावती के भाई आनंद कुमार की बेनामी संपत्ति आ ही गई। हाल ही में आनंद की बहुजन समाज पार्टी के उपध्यक्ष पद पर दोबारा नियुक्ति की गई है। आनंद की कुछ ही सालों में चल-अचल संपत्ति सुरक्षा के मुंह की तरह बढ़ी है। उनकी 400 करोड़ रुपए की संपत्ति जन्म की गई है। प्रवर्तन निदेशालय की भी आनंद की संपत्ति पर नजर है। उनके खिलाफ जांच चल रही है। अब इस कार्यवाही के बाद मायावती की मुश्किलें बढ़ना तय हैं क्योंकि आनंद कोई ऐसा व्यापार नहीं करते हैं कि देखते-देखते वे अकूत धन-संपदा के मालिक बन जाएं? उनकी आमदनी में सात साल के भीतर 18 हजार प्रतिशत की बढ़ोतरी हुई है। जो अपने आप में अचंभा है। मायावती पर टिकट बेचने, बेहिसाब चंदा लेने और परिवारवाद को अनैतिक ढंग से बढ़ावा देने के आरोप पहले भी लगते रहे हैं। लिहाजा इन विवादों पर सफाई देना अब आसान नहीं है क्योंकि उत्तर प्रदेश और केंद्र दोनों में ही भाजपा की सरकारें हैं। इसीलिए कहा जा रहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के संयुक्त निर्देश पर नोएडा और ग्रेटर नोएडा में भूमि आवंटन से जुड़ी फाइलों को नए सिरे से खंगाला जा रहा है।

2011-12 में भाजपा के सांसद किरिट सोमैया ने दिल्ली आयकर विभाग को दस्तावेजी साक्ष्यों के साथ इस क्षेत्र में दो लाख करोड़ रुपए से अधिक भूमि आवंटन घोटाले की फाइल सौंपी थी, लेकिन केंद्र में मनमोहन सिंह और उग्र में समाजवादी पार्टी की सरकार होने के कारण नतीजा शून्य रहा। इस घोटाले के उजागर होने के साथ ही मायावती की घेराबंदी शुरू हो गई है। दलित चिंतक डॉ. अशोक वर्मा ने कहा है, बसपा के नारे बहुजन हिताय, को सर्वजन हिताय, सर्वजन सुखाय में बदलकर मायावती सत्ता में वापसी की कोशिशों में जुटी हैं, लेकिन अब खुद माया के जाल में मकड़ों तरह उलझ गई है। परिवारवाद का विरोध करने वाली बसपा काशीराम के मूल उद्देश्य से भटक गई है। सम्पत्ति कार्यकर्ताओं को किनारे कर भाई-भतीजे को संगठन में शीर्ष पदों पर मनोनीत कर दिया है। पार्टी के भीतर भले ही विरोध मुखर नहीं हुआ है, लेकिन असंतोष व्याप्त हो चुका है। साफ है, कालांतर में भीम आर्मी जैसे दलित संगठनों को आनंद की इस संपत्ति के बाबत सवाल उठाने और मायावती को घेरने का सुनौत अक्सर मिल गया है।

उत्तर प्रदेश की 12 विधानसभा सीटों पर जो उपचुनाव होने हैं, उन पर भी इस गड़बड़ी का साफ असर दिखाई देगा क्योंकि आनंद और

उन्की पत्नी विचित्रलता के नाम कुल 1350 करोड़ रुपए की संपत्ति का पता चला है। उन पर सत्ता के दुरुपयोग का भी आरोप है। दरअसल आनंद ने 1996 में नोएडा विकास प्राधिकरण में महज 700 रुपए के वेतन पर कनिष्ठ सहायक के पद पर नौकरी की शुरुआत की थी। सात साल के भीतर ही उन्होंने इतनी नामी-बेनामी संपत्ति एकत्रित कर ली कि वे आयकर विभाग की नजरों में चढ़ गए। इसके पहले मायावती पर नसीमुद्दीन सिद्दीकी ने भी 50 करोड़ रुपए लेने का आरोप लगाया था। मायावती ने उन्हें तत्काल पार्टी से निष्कासित कर दिया था। जबकि सिद्दीकी पार्टी के संस्थापक काशीराम के साथी होने के साथ मुस्लिम चेहरा थे। दलित-मुस्लिम समीकरण को एक समय जमीन पर उतारने में भी उनकी अहम् भूमिका रही थी। किंतु 50 करोड़ रुपए की मांग पूरी न करने पर मायावती ने उन्हें दूध में पड़ै मखड़ी की तरह पार्टी से बाहर का रास्ता दिखा दिया था।

सिद्दीकी ने लगाए आरोपों को प्रमाणित करने के लिए वे आंडियो टेप भी प्रेस वार्ता में प्रस्तुत किए थे, जिनमें मायावती और सिद्दीकी के बीच लेन-देन का वार्तालाप स्पष्ट सुनाई दे रहा था। मायावती पर टिकट बेचने के आरोप भी लगते रहे हैं। उत्तर प्रदेश विधानसभा चुनाव 2017 के ठीक पहले बसपा के कद्दावर नेता स्वामी प्रसाद मौर्य ने भी अचानक पार्टी छोड़ दी थी। ये आरोप इस बात के संकेत थे कि मायावती पार्टी की बुनियादी सामाजिक न्याय की अवधारणा पर खरी उतरने में नाकाम साबित हो रही हैं। सवर्ण नेतृत्व को दरकिनार कर दलित और पिछड़ा नेतृत्व तीन दशक पहले इसलिए उभर था, जिससे लंबे समय तक केंद्र और उत्तर प्रदेश समेत अन्य राज्यों की सत्ता पर काबिज रही कांग्रेस शिक्षा, रोजगार और सामाजिक न्याय के जो लक्ष्य पूरे नहीं कर पाई थी, वे पूरे हों। सामंती, बाहुबली व जातिवादी कुचक्र टूटा किंतु ये लक्ष्य तो पूरे हुए नहीं, उरटे सामाजिक शैक्षिक और आर्थिक विषमता उत्तरोत्तर बढ़ती चली गईं।

सामाजिक न्याय के पैरोकारों का मकसद धन लेकर टिकट बेचने और अपारथिक पृष्ठभूमि के बाहुबलियों को अपने दल में विलय तक सिमट कर रह गए। राजनीति के ऐसे संक्रमण काल में जब विपक्ष को अपनी शक्ति और एकजुटता दिखते हुए भाजपा से लड़ने की जरूरत अनुभव हो रही है, तब एक के बाद एक विपक्षी दल अंदरूनी एवं पारिवारिक संकट से जूझते दिखाई दे रहे हैं। सपा, बसपा, राजद, और द्रमुक ने पारिवारिक कलह के चलते अपनी साख लगभग खो

दी है। बसपा को वजूद में लाने से पहले काशीराम ने लंबे समय तक दलितों के हितों की मुहिम डीएस-4 के जरिए लड़ी थी। इसीलिए तब बसपा के कार्यकर्ता इस नारे की हंकार भरा करते थे, 'ब्राह्मण, बनिया, ठाकुर चोर, बाकी सारे डीएस-फोर।' डीएस-4 का सांगठनिक ढांचा खड़ा करने के वक्त बसपा की बुनियाद पड़ी और पूरे हिंदी क्षेत्र में बसपा की संरचना तैयार किए जाने की कोशिशें ईमानदारी से शुरू हुईं। काशीराम के वैचारिक दर्शन में अंबेडकर से आगे जाने की सोच तो थी दलित-वर्चिंतों को करिश्माई अंदाज में लुभाने की प्रभावशाली शक्ति थी। यही वजह थी कि बसपा दलित संगठन के रूप में मजबूती से स्थापित हुई, पर कालांतर में मायावती की पद, धनलालुपता ने बसपा के बुनियादी ढांचे में विभिन्न जातिवादी बेमेल प्रयोगों का तड़का लगाकर उसके मूल सिद्धांतों के साथ खिलवाड़ ही कर डाला। इसी फॉर्मूले को अंजाम देने मायावती ने 2007 के चुनाव में दलित और ब्राह्मणों का गठजोड़ करके यूपी का सिंहासन जीत लिया था। लेकिन मोदी द्वारा चलाई गई राष्ट्रवाद की आंधी में मंजूबे ध्वस्त हो गए। हालांकि, मायावती बेमेल गठबंधनों के चलते उत्तर प्रदेश में चार बार सरकार बना लेने के साथ पार्टी को अखिल भारतीय स्तर पर स्थापित करने में सफल रहे हैं लेकिन मोदी-लहर के आते ही बेमेल गठबंधनों का दौर खत्म हो गया और बसपा दुर्गति के दौर से गुजरने लग गई। नतीजतन 2014 के चुनाव में वह एक भी सीट नहीं जीत पाई। मोदी के सत्ता में काबिज होने के बाद अब राजनीति का चाल और चरित्र बदल रहा है। अब महज जातीय और सांप्रदायिक समीकरणों के बूते राजनीति करना मुश्किल हो गया है?

इस लिहाज से अब वही दल और नेता राजनीति की मुख्य धारा में रह पाएंगे, जो तौर-तरीके पूरी तरह बदल लेंगे। कांग्रेस का दायर्य लगातार इसलिए सिमट रहा है, क्योंकि वह न तो चेहरा बदलने को तैयार है और न ही तौर-तरीके? राजनीति में आ रहे बदलाव इस बात के भी संकेत हैं कि अब दलों को संगठन के स्तर पर मजबूत होने के साथ नैतिक दृष्टि से भी मजबूती दिखानी होगी क्योंकि बेनामी संपत्ति के खिलाफ 2016 में संशोधित करके मजबूत कर दिया गया है। इसलिए देश में जितने भी आनंद कुमार हैं, उनका आनंद अब सुरक्षित नहीं है। उन सभी का हिसाब जल्द होने वाला है।

विशेष संपादकीय

शीला दीक्षित का निधन कांग्रेस को बड़ा झटका


शीला दीक्षित का निधन देश के साथ कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। उनके जाने के बाद अब दिल्ली कांग्रेस इकाई के सामने दो चुनौतियां हैं, जिसमें पहली है नया नेता तलाशना और दूसरी पार्टी में एकजुटता कायम करना। यह भरपाई आसान होने वाली कर्तई नहीं है।



दिल्ली की तीन बार मुख्यमंत्री रहीं शीला दीक्षित पंचतत्व में विलीन हो चुकी हैं। उनका निधन देश के साथ ही कांग्रेस के लिए बड़ा झटका है। अस्वस्थ शरीर के बाद भी शीला दीक्षित कांग्रेस को खड़ा करने में जुटी थीं। वर्ष 1998 के विधानसभा चुनावों में भाजपा को सत्ता से हटाकर शीला दीक्षित दिल्ली की मुख्यमंत्री बनीं तो फिर 15 वर्ष तक इस पद पर काबिज रहीं। विपक्षी दलों के साथ कई बार उन्हें कांग्रेस के अंदरूनी संघर्षों को झेलना पड़ा, पर हर बार वे पहले से कहीं ज्यादा ताकतवर हुईं। आम आदमी पार्टी से विधानसभा चुनाव हारने के बाद शीला दीक्षित दिल्ली की राजनीति से दूर हो गईं। उन्हें कांग्रेस ने 2017 के यूपी विधानसभा चुनाव में भी उतारा। 2019 के लोकसभा चुनावों से पहले शीला दीक्षित को दिल्ली प्रदेश कांग्रेस का अध्यक्ष बनाया गया। शीला दिल्ली में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस गठबंधन के खिलाफ थीं। वे अपने दम पर कांग्रेस को दोबारा खड़ा करने के प्रयास में जुटी थीं। शीला दीक्षित का निधन ऐसे समय हुआ है, जब अगले साल जनवरी में होने वाले विधानसभा चुनाव होने हैं। कांग्रेस दिल्ली में एक बार फिर उन्हें चेहरा बनाकर मैदान में उतारना चाह रही थी। गांधी परिवार के वफादारों में शुमार शीला दीक्षित के निधन के बाद पार्टी के सामने नया नेता तलाशने की चुनौती है। पार्टी को ऐसे नेता की तलाश है जो उनकी जिम्मेदारी को शीला दीक्षित की तरह बखूबी संभाल सके। दिल्ली कांग्रेस के सामने एक ऐसे नेता की तलाश करने की चुनौती उत्पन्न हो गई है, जो उनकी जिम्मेदारी संभाल सके। उनके निधन के बाद अब दिल्ली कांग्रेस इकाई के सामने दो चुनौतियां हैं, जिसमें पहली है नया नेता तलाशना और दूसरी पार्टी में एकजुटता कायम करना। नए नेता को दिल्ली इकाई को एकजुट करने को चुनौती से भी जूझना पड़ सकता है। शीला के लिए राजनीति महज स ग हासिल करने का जरिया नहीं थी बल्कि आम लोगों से जुड़ने और उनकी समस्याओं को हल करने का माध्यम थी। देश में सबसे लंबे समय तक लगातार शासन करने वाली एकमात्र महिला मुख्यमंत्री शीला दीक्षित ने 1998 से 2013 तक तीन चुनाव जीते थे। उन्हें दिल्ली के सभी इलाकों में समान रूप से विकास करने और वर्ल्ड क्लास कैपिटल के तौर पर विकसित करने के लिए याद किया जाएगा। सन 1984 से 2019 तक, कांग्रेस ने बहुत उतार-चढ़ाव देखे, कई दिग्गजों ने पार्टी से मुंह मोड़ लिया, लेकिन शीला ने सियासी सफर का आगाज जिस कांग्रेस के साथ किया, जिंदगी के सफर का अंत भी उसी कांग्रेस के साथ। शीला दीक्षित का नाता दिल्ली से ताउम नहीं टूटा। दिल्ली में सियासी सफर का आगाज उन्होंने जिस प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद से किया था, उसी प्रदेश कांग्रेस अध्यक्ष के पद पर रहते हुए दिल्ली के ही अस्पताल में शीला दीक्षित ने अंतिम सांस ली। शीला दीक्षित का जाना हर किसी को खल रहा है। वे ही चमत्कारिक व्यक्तित्व वाली।

कुलभूषण जाधव: डर अब भी कटिन

'सत्यमेव जयते'। अर्थात् सत्य की हमेशा जीत होती है। यह कथन पूरी मानवता से जुड़ा है। इसलिए इसे किसी भी सीमा में कैद नहीं किया जा सकता है। कुलभूषण जाधव के मामले पर भी यही बात लागू होती है। संघु त राष्ट्र की प्रमुख न्यायिक संस्था अंतरराष्ट्रीय न्यायालय में आखिरकार पाकिस्तान को मुंह को खानी पड़ी और उसका झूठ बेनकाब हो गया। इस फैसले में पाकिस्तान से जाधव की मौत की सजा पर प्रभाव रूप से पुनर्विचार करने के लिए कहा गया है। साथ ही पाकिस्तान से भारत को 'काउंसिलर एक्सेस' देने के लिए भी कहा गया है। एक तरह से यह 18 मई 2018 को अंतरराष्ट्रीय पंचाट द्वारा दिए गए अपने फैसले का विस्तार है। इसमें उसने कुलभूषण जाधव की फांसी पर अपना अंतिम निर्णय आने तक अस्थाई रोक लगा दी थी। जाधव मामले पर भारत को मिली कूटनीतिक सफलता केंद्र सरकार के साथ-साथ आम नागरिकों के लिए भी रहत भरी खबर है। हेग स्थित पीस पैलैस में न सिर्फ भारतीय दलौलों को माना गया बल्कि उसका पक्ष ज्यादा मजबूती से उभरकर समाने आया। 151 से आया निर्णय इसकी दलील है। ज्ञात हो कि विश्व में आया एकमात्र मत पाकिस्तान का ही था जो इस बात पर होना चाहिए कि किस तरह कुलभूषण जाधव की सुरक्षित व सम्मानित तरीके से घर वापसी संभव हो सके। इसके लिए भारत सरकार को बहुत संभल-संभल तो इस मामले में भारत की पारंपरिक



आईसीजे में मिली इस अभूतपूर्व सफलता से हमारे हौसले बुलंद हैं लेकिन हमें इससे अति-उत्साहित होने की जरूरत नहीं है। हमें नहीं भूलना चाहिए कि नौसेना के पूर्व अधिकारी कुलभूषण जाधव अभी भी पाकिस्तान की कैद में हैं और इस फैसले से भी उनकी रिहाई सुनिश्चित नहीं होती है। लिहाला, हमें सतर्क रहना होगा।


उठाने होंगे। भारत सरकार के समक्ष दूसरा अहम लक्ष्य पाकिस्तान पर इस बात को लेकर अंतरराष्ट्रीय समुदाय का दबाव बनवाना है कि उसे अंतरराष्ट्रीय पंचाट के फैसले को मानने के लिए बाध्य होना पड़े। हालांकि भारतीय विदेश मंत्रालय के प्रवक्ता रवीश कुमार ने अपनी हफ्तावार प्रेस वार्ता में आईसीजे के इस फैसले को 'बाध्यकारी' बताया है लेकिन यहाँ सवाल यह उठता है कि क्या आईसीजे के पास अपने फैसले के क्रियान्वयन के लिए आवश्यक शक्तियाँ हैं? शायद नहीं। इसकी नजीर हम पहले अमेरिका और फिर दक्षिण चीन सागर मामले पर चीन द्वारा किए उसके फैसलों के उल्लंघन के रूप में देख चुके हैं।

उच्चायोग को तीन हफ्ते बाद इससे सूचित किया। जबकि जाधव के भारतीय नागरिक होने के नाते तकाजा यह था कि इससे भारतीय उच्चायोग को फौरन बाखबर किया जाता। फिर उसने जाधव को काउंसिलर एक्सेस अर्थात् राजनयिक संपर्क देने की भारत की अपील को 16 बार टुकराया। यही नहीं पाकिस्तान ने जाधव पर सैन्य अदालत की बजाए सिविल कोर्ट में सामान्य कानून के तहत मुकदमा चलाने के विकल्प पर भी कान नहीं धरा। इन घटनाक्रमों से लगता है कि पाकिस्तान अपनी मक्कारी से बाज नहीं आएगा। ऐसे में इस फैसले की अनदेखी करने की सूरत में मामला संयुक्त राष्ट्र की सुरक्षा परिषद तक मामला पहुंच सकता है। परिषद के पांच स्थाई सदस्यों में शामिल चीन यहाँ भारत के लिए संकट पैदा कर सकता है। हालांकि, अंतरराष्ट्रीय समुदाय में पाकिस्तान की छवि पहले से ही आतंकवाद के पालनहार और उसके निर्यातक देश की रही है। विदेश नीतियों जैसे भी भू-राजनीतिक और आर्थिक पैमाने पर तय की जाती हैं।

ऐसे में जिस तरह भारत ने मसूद अजरह को आतंकी घोषित करने के मामले में चीन की राज्दमौी हासिल की, उससे उसके वादे करने की संभावनाएं कम हैं। इस मामले में फिलहाल भारत की स्थिति भी बहुत मजबूत है जबकि मौजूदा परिस्थितियों में पाकिस्तान का वैश्विक प्रभाव नगण्य होता जा रहा है। ऐसे में अगर पाकिस्तान कुलभूषण जाधव को

अयोध्या विवाद फिर जगी आस

सुप्रीम कोर्ट ने अयोध्या में राजनीतिक रूप से संवेदनशील राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में रोजाना सुनवाई होगी या फिर बातचीत का रास्ता खुला रहेगा, इसका फैसला दो अगस्त को होगा। कोर्ट ने मध्यस्थता कमेटी से 31 जुलाई तक फाइल रिपोर्ट जमा करने को कहा है। इसके बाद वह रोजाना सुनवाई पर फैसला करेगा। शीर्ष अदालत ने कहा कि उसे जस्टिस एफएम आई क्लीफुल्ला के नेतृत्व वाले तीन सदस्यीय पैनल की रिपोर्ट मिली है। कोर्ट रिपोर्ट को देख रहा है। पैनल को 31 जुलाई तक बातचीत जारी रखने को भी कहा। चीफ जस्टिस रंजन गोगोई की अध्यक्षता वाली पांच जजों की संविधान पीठ ने 11 जुलाई को मुद्दे पर रिपोर्ट मांगी थी और कहा था कि अगर अदालत मध्यस्थता कार्यवाही पूरी करे का फैसला करती है तो 25 जुलाई से रोजाना आधार पर सुनवाई शुरू हो सकती है। पीठ में जस्टिस एस एब बॉबडे, जस्टिस डीवाई चंद्रचूड़, जस्टिस अशोक भूपण और जस्टिस एसए नजीर भी शामिल हैं। पीठ ने मूल बादिियों में शामिल गोपाल सिंह विशारद के कानूनी उताधिकारी द्वारा दाखिल आवेदन पर आदेश जारी किया। कोर्ट के इस फैसले के बाद विवाद के पटकथा जल्द होने की उम्मीद फिर से जाग गई है। हालांकि, कोर्ट का फैसला जब आएगा तब आएगा, मगर अभी कोर्ट ने बातचीत के जरिए विवाद के हल को जो पहल की थी, उसे सभी पक्षों को गंभीरता से लेना चाहिए था। अब तक की जो प्रगति रिपोर्ट आई है, उसमें कोई



राम जन्मभूमि-बाबरी मस्जिद भूमि विवाद में रोजाना सुनवाई होगी या फिर बातचीत का रास्ता खुला रहेगा, इसका फैसला दो अगस्त को होगा। हालांकि, बातचीत से मसले का हल होता तो दोनों पक्षों के बीच सद्भावना का संचार होता। मगर फिलहाल तो ऐसा नहीं हुआ।

भी पक्ष वार्ता के जरिए इस मुद्दे को हल करने के प्रति गंभीर नहीं दिखा है। अब 31 जुलाई तक का समय है, शायद कोई चमत्कार हो जाए और विवाद किसी नतीजे पर पहुंच जाए, तो कहा नहीं जा सकता। बहरहाल, यह किसी से छिपा नहीं है कि पहले तो सुप्रीम कोर्ट ने ही इस मामले को अपनी प्राथमिकता से बाहर रखा, फिर जब जल्द निपटारे की याचिका पेश की गई तो कुछ अड़ोबाज आगे आ गए। उनकी ओर से ऐसी दलीलें दी गईं कि इस मामले की सुनवाई चुनाव तक टाल देनी चाहिए। ऐसी दलील देने वालों ने सुप्रीम कोर्ट को उलझाने की भी कोशिश की। यह सही है कि कोर्ट सुनवाई के दौरान मसले को जमीन

के मालिकाना हक के विवाद के तौर पर देखेगा, लेकिन इसकी अनदेखी नहीं की जा सकती कि वह मूलतः इसी मामले में इलाहाबाद उच्च न्यायालय की ओर से दिए गए फैसले पर विचार करेगा। इलाहाबाद हाईकोर्ट ने विवादित जमीन को तीन हिस्सों में बांटे का जो फैसला दिया था, उसका एक आधार अयोध्या ढांचे से मिले पुरातात्विक साक्ष्य थे। अदालतें आस्था के आधार पर फैसले नहीं दे सकतीं, लेकिन वे पुरातात्विक साक्ष्यों पर तो विचार कर ही सकती हैं। अयोध्या में राम जन्मभूमि मंदिर निर्माण के आकांक्षी इसीलिए अपना पक्ष मजबूत मान रहे हैं, योंकि विवादित स्थल पर मंदिर होने के ऐतिहासिक और पुरातात्विक प्रमाण हैं। बावजूद इस सबके यह नहीं कहा जा सकता कि सुप्रीम कोर्ट अब आगे चलकर किस निष्कर्ष पर पहुंचेगा।



भसीन परिवार ने कृष्ण मुरारी मंदिर की शोभा बढ़ाई

श्री कृष्ण मुरारी मंदिर में बजरंग बली की मूर्ति स्थापना की। इस मूर्ति को दिल्ली से आए कारीगर श्री वर्मा ने एक साल में बनाया और इस शुभ अवसर पर भसीन परिवार से श्री मोहनी जी और भसीन परिवार और स्त्री सत्संग की मँबर ने सुंदरकांड का पाठ किया। और इसमें मंदिर के पदाधिकारी श्री चमन लाल कौड़ड़ प्रधान, उमा महेश्वर सचिव, भारत भूषण नारंग, वी. एम. चड्ढा, नरिंदर शर्मा, सुभाष वर्मा, कश्मीरी लाल के इलावा स्त्री सभा के सदस्य हाजिर थे। मंदिर की तरफ से मूर्ति बनाने वाले को 51,000/- इनाम के तौर पर दिए गए। भसीन परिवार ने लंगर की व्यवस्था की। मंदिर कमेटी ने भसीन परिवार का धन्यवाद किया।

झारखंड : चार आदिवासियों की पीट-पीट कर हत्या के मामले में 10 हिरासत में

■ गुमला/ब्यूरो

झारखंड के गुमला जिले में जादू टोने के शक में दो महिलाओं समेत चार आदिवासी बुजुर्गों की कथित रूप से पीट-पीट कर हत्या करने के मामले में 10 से ज्यादा लोगों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस ने सोमवार को बताया कि शनिवार की रात को नगर-सिसकारी गांव में सुना ओरांव (65), चम्पा ओरांव (79), फगनी ओरेनी (60) और पीरो ओरेनी (74) को 10 लोगों ने पीट-पीट कर कथित तौर पर मार डाला।



पुलिस ने बताया कि गांव में घटना के बारे में कोई भी बात करने को राजी नहीं है। पुलिस अधीक्षक अंजनी कुमार झा ने बताया, रविवार से अब तक पछताछ के लिए 10 ग्रामीणों को हिरासत में लिया गया है। पुलिस अधीक्षक ने बताया कि स्थानीय लोग अक्सर मुत्कों के यहां जाया करते थे जिनपर जादू-टोना करने का शक था। माना जाता था कि वे बीमारियां का इलाज कर सकते थे। उन्होंने कहा कि पीड़ितों का कोई जमीन संबंधी विवाद नहीं था।

प्रजा के 'शौचालय' संबंधी बयान पर एक्शन मोड में बीजेपी

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

भाजपा के कार्यकारी अध्यक्ष जे पी नड्डा ने सोमवार को भोपाल से सांसद प्रजा सिंह ठाकुर की उनकी उस टिप्पणी के लिए 'खिंचाई' की जिसमें उन्होंने कहा था कि वह शौचालय साफ करने के लिये सांसद नहीं बनी हैं। इस बयान को प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 'स्वच्छ भारत' अभियान के उद्देश्य के तौर पर देखा गया। पार्टी सूत्रों ने कहा कि प्रजा सिंह ठाकुर को भाजपा मुख्यालय तलब किया गया था जहां नड्डा ने उन्हें बताया कि पार्टी नेतृत्व मध्य प्रदेश के सीहोर में रविवार को उनके द्वारा दिये गए बयान से खुश नहीं है। उन्होंने कहा कि ठाकुर की खिंचाई करते हुए उनसे पार्टी के कार्यक्रमों और विचारों के खिलाफ बयान देने से बचने को कहा गया है। पार्टी कार्यालय से निकलते वक्त भाजपा



सांसद ने वहां मौजूद पत्रकारों से बात नहीं की। मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए 2008 मालेगांव बम धमाका मामले की आरोपी ठाकुर ने कहा था कि एक सांसद का काम विधायकों, पार्षदों और जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करते हुए विकास सुनिश्चित करना होता है। ठाकुर ने कहा, इसलिये इस ध्यान में रखिये...हम यहां नालियों को सफाई के लिये नहीं हैं। यह साफ है? हम

मध्य प्रदेश में भाजपा कार्यकर्ताओं की एक बैठक को संबोधित करते हुए 2008 मालेगांव बम धमाका मामले की आरोपी ठाकुर ने कहा था कि एक सांसद का काम विधायकों, पार्षदों और जन प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करते हुए विकास सुनिश्चित करना होता है। ठाकुर ने कहा, इसलिये इस ध्यान में रखिये...हम यहां नालियों को सफाई के लिये नहीं हैं। यह साफ है? हम

प्रतिनिधियों के साथ मिलकर काम करते हुए विकास सुनिश्चित करना होता है। ठाकुर ने कहा, इसलिये इस ध्यान में रखिये...हम यहां नालियों को सफाई के लिये नहीं हैं। यह साफ है? हम

विपक्ष ने सरकार पर RTI को कमजोर करने का लगाया आरोप, भाजपा ने कहा-विपक्ष पैदा कर रहा भ्रम

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

कांग्रेस समेत विपक्षी दलों ने सरकार पर सूचना का अधिकार संशोधन विधेयक लाकर इस महत्वपूर्ण कानून को कमजोर करने का आरोप लगाया वहीं भाजपा ने आरोपों को खारिज करते हुए कहा कि विपक्ष जनता के बीच अनावश्यक भ्रम पैदा करना चाहता है और सरकार द्वारा लाये गये तकनीकी संशोधन से सूचना आयोग और मजबूत होगा। लोकसभा में सूचना का अधिकार (संशोधन) विधेयक, 2019 पर चर्चा की शुरुआत करते हुए कांग्रेस के शशि थरूर ने विधेयक को वापस लिये जाने और संसदीय स्थाई समिति को भेजने की मांग की। थरूर ने कहा कि सरकार इस विधेयक के माध्यम से एकपक्षीय तरीके से सूचना आयुक्तों के वेतन, भत्ते और कार्याधि का फैसला कर सकेगी। सरकार इसे छोटा संशोधन बता

रही है लेकिन यह सूचना के अधिकार (आरटीआई) को रूपरेखा को कमजोर करने के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा कि यह सरकार आरटीआई को 'बिना पंजे वाला शेर' बनाने के सतत प्रयासों के तहत इस संशोधन को लेकर आई है। थरूर ने कहा कि सरकार इस संशोधन के माध्यम से राज्यों में भी सूचना आयुक्तों की नियुक्तियों की नियम, शर्तें तय करेगी। थरूर ने आरोप लगाया, "यह न्यूनतम सरकार, अधिकतम शासन नहीं बल्कि इसके विपरीत सर्वोच्च स्तर का राजनीतिक निराशावाद है।" इससे पहले विधेयक को चर्चा और पारित करने के लिए पेश करते हुए कार्मिक, लोक शिकायत एवं पेंशन राज्यमंत्री जितेंद्र सिंह ने कहा कि आरटीआई और उसकी स्वायत्तता को कमजोर करने की बातें निराधार हैं। उन्होंने कहा कि इस संशोधन के माध्यम से हम

सूचना आयोगों के कामकाज को संस्थागत बनाएंगे और विसंगतियों को दूर करेंगे। चर्चा में भाग लेते हुए थरूर ने कहा कि विधेयक बिना किसी सार्वजनिक विमर्श के लिए लाया गया है। उन्होंने कहा, "सरकार मानती है कि संसद रबर स्टॉप की तरह काम करेगी। जो विधेयक लाएंगे, पारित हो जाएगा।" थरूर ने कहा कि सरकार को इस संशोधन विधेयक को वापस लेना चाहिए और समझ के लिए संसद की स्थाई समिति को भेजना चाहिए। सरकार को स्थाई समिति का भी तत्काल गठन करना चाहिए। उन्होंने कहा कि कांग्रेस इतने खतरनाक विधेयक को स्वीकार नहीं करेगी। चर्चा में शामिल होते हुए भाजपा के जगदीशका पाल ने कहा कि इस संशोधन के माध्यम से सरकार 2005 के मूल आरटीआई कानून की भावना में कोई बदलाव

नहीं कर रही। उन्होंने कहा कि विपक्षी सदस्य ऐसा भ्रम पैदा करने की कोशिश कर रहे हैं कि हमारी सरकार आरटीआई को कमजोर करना चाहती है जबकि सरकार को इस तकनीकी संशोधन से केवल नियम बनाने का अधिकार मिलेगा। पाल ने कहा कि आज का संशोधन केवल ढांचागत मजबूती के लिए किया गया प्रशासनिक संशोधन है। बाकी सूचना के अधिकार कानून के तहत सारे प्रावधान पूरी तरह निहित हैं। उन्होंने कहा कि मोदी सरकार ने आरटीआई विधेयक को और मजबूत किया है। अगर सरकार कानून को कमजोर करना चाहती तो पिछली लोकसभा में सदन में कांग्रेस के नेता मल्लिकार्जुन खड़गे को मुख्य सूचना आयुक्त की नियुक्ति समिति में शामिल नहीं करती जबकि उन्हें नेता प्रतिपक्ष का दर्जा नहीं मिल सका था। भाजपा सदस्य ने यह भी कहा

कि मोदी सरकार के पिछले पांच साल के कार्यकाल में आरटीआई के माध्यम से कोई घोटाला उजागर नहीं हुआ जबकि संप्रग सरकार में राष्ट्रमंडल खेल घोटाला और 2जी स्पेक्ट्रम जैसे घोटाले आरटीआई के माध्यम से ही उजागर हुए थे। द्रमुक के ए राजा ने आरोप लगाया कि सरकार यह जताना चाहती है कि वह संख्याबल का इस्तेमाल लोकतंत्र को कमजोर करने के लिए कर सकती है। उन्होंने मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों के वेतन की तुलना मुख्य निर्वाचन आयुक्त और निर्वाचन आयुक्तों के वेतन से किये जाने पर कहा कि चुनाव आयोग के बिना लोकतंत्र कुछ समय चल सकता है लेकिन आरटीआई हमें संविधान के अनुच्छेद 19 के तहत अभिव्यक्ति की आजादी के मूलभूत अधिकार के तहत मिला है। इसलिए तुलना नहीं की जा सकती।

महाराष्ट्र दूसरे धर्म के 2 लोगों को 'जय श्रीराम' बोलने को किया मजबूर, मामला दर्ज

■ औरंगाबाद/ब्यूरो

महाराष्ट्र के औरंगाबाद जिले में दो लोगों को कथित रूप से 'जय श्रीराम' का नारा लगाने को मजबूर किया गया जिसके बाद इलाके में स्थिति तनावपूर्ण हो गयी है। पुलिस ने सोमवार को कहा कि पिछले कुछ दिनों में शहर में यह दूसरी ऐसी घटना है। इस संबंध में पुलिस के एक अधिकारी ने बताया कि घटना के बाद शहर में सुरक्षा कड़ी कर दी गई है। उन्होंने कहा कि खाना ऑर्डर करने वाले ऐप जोमैटो के लिए काम करने वाले शेख आमिर और उसका दोस्त शेख नासिर रविवार को आजाद चौक पर आंटो का इंतजार कर रहे थे। उसी वक्त चार-पांच लोग कार से आए और दोनों से झगड़ा शुरू कर दिया। उन्हें धार्मिक पहचान को लेकर गालियां दीं और 'जय श्रीराम' नहीं बोलने पर जान से मारने की



धमकी भी दी। अधिकारी ने बताया कि दोनों ने डर की वजह से 'जय श्रीराम' का नारा लगाया, बाद में कुछ राहगीरों को आते देख सभी कार सवार वहां से भाग खड़े हुए। आमिर और नासिर ने घटना को शिकायत पुलिस से की है और औरंगाबाद के पुलिस आयुक्त चिरंजीव प्रसाद ने कहा कि आरोपियों और उनके वाहन की पहचान का प्रयास किया जा रहा है। उनके खिलाफ कड़ी करवाई की जाएगी।

क्या कोहली को कप्तानी साबित करनी पड़ेगी ? नहीं दिया गया आराम



मिशन वर्ल्ड कप 2019 समाप्त हो गया और दुनिया को एक नया चैंपियन भी मिल गया वो भी बाउंड्री के आधार पर। वर्ल्ड कप की शुरुआत तो काफी शानदार थी लेकिन समापन मैच के बाद काफी विवाद हुआ वो भी आईसीसी के नियमों पर...खरब तो क्रिकेट है और खेल भावना इसमें सर्वोपरि होती है। तभी तो पहली बार विश्व विजेता बनने वाली इंग्लैंड टीम के कप्तान ने माना था कि मैच में दोनों टीमों ने भरपूर प्रयास किए और तो और क्रिकेट विश्व कप ने टूट कर कहा था कि विजेता एक लेकिन चैंपियन दो... इन्होंने तमाम विषयों की चर्चा हो ही रही थी कि वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का चयन हो गया और सेलेक्टर्स ने कई सारे सवाल क्रिकेट प्रेमियों के जहन में छोड़ दिए। आपको याद हो तो विश्व कप अभियान जब जारी था तो 25 जून के दिन एक खबर सामने आई थी जिसमें कहा गया कि कप्तान विराट कोहली और तेज गेंदबाज जसप्रीत

चुमराह को वेस्ट इंडीज दौरे पर नहीं भेजा जाएगा। वजह थी लगातार उनका मैच खेलना। इसलिए प्रबंधन चाहता था कि इन्हें आराम करने का मौका दिया जाए। रविवार को वेस्ट इंडीज दौरे के लिए टीम इंडिया का ऐलान किया गया, जिसमें तीनों फॉर्मेटो यानी की टी 20, एकदिवसीय और टेस्ट की कप्तानी कोहली को सौंपी गई। ऐसे में सवाल यह उठता है कि आखिर इतने दिनों में ऐसा क्या बदल गया कि विराट कोहली को आराम देने की बजाए टीम में शामिल किया गया। क्रिकेट एक्सपर्ट ने बताया कि भारत जब न्यूजीलैंड से सेमीफाइनल में हार गया और उनका विश्व कप अभियान थम गया तो विराट कोहली की कप्तानी पर सवाल खड़े होने लगे। इतना ही नहीं बल्कि यहां तक कहा गया कि अगर रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाता तो हम इस विश्व कप को जीत जाते। लेकिन क्या होता क्या नहीं होता इसके बारे में चर्चा करने से कहीं ज्यादा अच्छा टीम इंडिया के परफॉर्मंस की होनी चाहिए। - खल्ल डेस्क

धारा 377 के खिलाफ जिन SC वकीलों ने लड़ी थी लड़ाई, उन्होंने बताया- वो है 'लेस्बियन कपल'

■ नई दिल्ली/ब्यूरो

इस साल की शुरुआत में टाइम मैगजीन ने दो भारतीय महिला वकीलों-मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू को 2019 के 100 सबसे प्रभावशाली लोगों की सूची में शामिल किया था। इन दोनों ने धारा 377 (Section 377) के खिलाफ लंबी लड़ाई लड़ी थी। अब दोनों ने इस इस बात का खुलासा किया है ये दोनों कपल हैं। 18 जुलाई मेनका गुरुस्वामी और अरुंधति काटजू ने सीएनएन के फरीद जकारिया को दिए इंटरव्यू में अपने लेस्बियन होने के बारे में बताया। इंटरव्यू के दौरान उन्होंने बताया कि धारा 377 के खिलाफ उनकी लड़ाई सिर्फ वकील के रूप में नहीं बल्कि एक कपल के रूप में थी। 2013 में सुप्रीम कोर्ट ने धारा 377 को लेकर 157 साल पुराने कानून को बरकरार रखा था। जिसे लेकर मेनका गुरुस्वामी ने कहा, ये सिर्फ एक वकील नहीं बल्कि एक इंसान के रूप में बड़ा नुकसान था। यह एक औपनिवेशिक युग का कानून था, लेकिन औपनिवेशिक युग के कानून को आज के वक्त में भी जारी रखना सही नहीं है। गुरुस्वामी ने इंटरव्यू के दौरान मेनका ने कहा, सभी उप-औपनिवेशिक देशों में, मुझे लगता है कि हमारी सरकारों को यह समझना होगा कि ये हमारे कानून नहीं हैं, ये हमारी संस्कृतियां नहीं थीं। और हमें यह समझना होगा कि क्यों हम कानून में सुधार लाने और स्वतंत्रता का विस्तार करने में सक्रिय नहीं रहे हैं। इन दोनों ने बताया कि श्रीलंका और मलेशिया के कार्यकर्ता भी अब देख रहे हैं कि कैसे इस फैसले का इस्तेमाल अपने देशों में समलैंगिकता



विरोधी कानूनों को पलटने के लिए किया जा सकता है। सोशल मीडिया पर इन दोनों वकीलों को काफी लोगों ने शुभकानाएं दी हैं।